



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1947 (श10)
(सं0 पटना 1393) पटना, सोमवार, 18 अगस्त 2025

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2025

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2025-658—बिहार राज्यपाल का दिनांक-09.08.2025 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आरिफ मोहम्मद खां, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2025 को सदन की बैठक की समाप्ति के पश्चात् बिहार विधान परिषद् का सत्रावसान करता हूँ।

पटना,
दिनांक-09.08.2025

आरिफ मोहम्मद खां,
राज्यपाल, बिहार।”

राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

14 अगस्त 2025

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2025-659 अधिसूचना संख्या-658 दिनांक-14.08.2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

The 14TH August 2025

No. P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2025-658--The Following order of the Governor of Bihar dated **09.08.2025** is hereby published for general information :-

“In exercise of the powers under Sub Clause (a) of Clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar, hereby prorogue the Bihar Legislative Council after completion of the business of the House on 25th July, 2025.

Patna,
Dated-09.08.2025

Arif Mohammed Khan,
Governor of Bihar.”

Rajesh Kumar,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1393-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>